

30/8/16


फनावली वोटिंग बोगस पोस्टल पर केस।  
 अपीलकर्ता उपरोक्त होकर बताया की  
 पत्नारी हलका प्रत्यर्थी अं. लॉडकेवर द्वारा  
 निवादिन विद्युत-पत्र में अंकित चतुर्थी सुत्रा जी  
 नम्बर (08/1, 2032), 2033/1, 2030/4 के  
 वाकत राजारव रेवार्ड में मिलान नहीं किया  
 कि विद्युत-पत्र में अंकित सम्पूर्ण भूमि की  
 शर्तद्वारा लॉडकेवर ही थी था नहीं कि  
 आराज नम्बर 2030/4 खदका 1-02 भूमि  
 अपीलकर्ता अं. करामेठ के नाम पर नामान्तकरण  
 आराज उपसू में आराज नम्बर 2030/4 का  
 अं. वन नदी करना चाहे 20, किन्तु पं. हलका  
 की आ. आधार व राजारव रेवार्ड का अं. वल। व  
 कि किना ही-उलना अ. न. 2030/4 का अं. वन  
 कर दिया। और किना किसी आधार के रेवार्ड  
 कर दिया गया। अतः नामान्तकरण अं. 136 निम्न  
 दिनांक 21/09/1991 सुविधान होने से निरन्तर विम  
 जावे।

म १५/१६

अतः (वादी) अपीलकर्ता की अपील  
 रेवार्ड की जा कर नामान्तकरण संख्या  
 1369 दिनांक 21/09/91 ब्राम पंचायत पीसल  
 के श्वरोज विधा जा कर पुकरण तहसीलदार  
 के रेवार्ड विधा जा कर आदेश दिया जाता  
 कि वि. समी परमकारों को सूत्र कर निर्णय पास्ति  
 कर। तहसीलदार को निर्णय व फर्पना-पत्र  
 की छापा प्रत भिजावे।

आज यह निर्णय वोटिंग बोर्ड पॉसल पर  
 अरे आम सुनाया गया।

फनावली पंचाल सुमार होकर नम्बर  
 अ काम हो।

  
 (उम्मेद सिंह राजावत)  
 लोक अदालत  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक जल सं. मीनताडा